


अति. जिला कलेक्टर मुकाम इलाहाबाद  
 केकात पुत्र मन्तरराम कुहाडवार बनाम जायब तदसी लदार वृष्टा  
 नं. 47 सन् 2021

क्र. सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/6/21	यह अपील अधिवक्ता श्री विजयपाल सिंह द्वारा पेश करने पर बाद जांच पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत तलवाने पर रेस्पोंडेंट की तलबी जारी हो मिसल मातहत तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 04.08.2021 को पेश। अति. जिला कलेक्टर इलाहाबाद	
4/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उप। पत्रावली वास्ते मिसल तलबी दिनांक 8/9/21 को पेश हो	
8/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उप। अधिवक्ता की पत्रावली प्राप्त हुई जो शा. कील पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27/9/21 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर इलाहाबाद	
27/9/21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता तथा द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 26/10/21 को पेश हो।	
26/10/21	पत्रावली पेश हुई वकील अकारान उपास्थित श्री ओ साहब आज राजकार्य अकारान प्रमाण पर है पत्रावली तलब दिनांक 16/11/21 को पेश शीखर	
/12-2021	पत्रावली पेश हुई वकील अकारान उपास्थित श्री ओ साहब आज राजकार्य अकारान प्रमाण पर है पत्रावली तलब दिनांक 12/12/21 को पेश शीखर	

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

12/1/22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 7/2/22 को पेश हो।

7/2/22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 9/3/22 को पेश हो।

9/3/22

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12/3/22 में सुनवाई हे। वकील अपीलान्त को सूचित किया गया। पत्रावली वास्तव सुनवाई दिनांक 12/3/22 को पेश हो।

अति. जिला कलक्टर

सुंहरा

12/3/22

पत्रावली लोक अदालत दिनांक 12/3/22 में नियत होने पर आप पेशी में ली गई। पर सरकार उप नहीं होने के कारण पत्रावली के निष्कारण सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की सकी। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 14/4/22 को पेश हो।

अति. जिला कलक्टर

सुंहरा

14/4/22


पत्रावली पेश हुई। वकील (सरकार उप.) पत्रावली वास्तव सुनवाई हे। अन्तिम अवसर दिनांक 20/4/22 को पेश हो।

अति. जिला कलक्टर

सुंहरा

20/4/22

इलक्रील को फागो ली-चलाना पारना कपील को किडा कला हो



पत्रावली पेश हुई। विधान अखिल सभा उच्चपक्ष उप। उच्च वकील अपीलान्त का कथन है कि वे इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अपील को आगे विज्ञा करवा है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त विज्ञा के आधार पर स्वीकार की जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली जैसल सुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो नया ब्याद तक सील जावना दायित्व दफ्तर को

अति. जिला कलक्टर

सुंहरा